<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट),बहराइच।</u>

जे०ओ० कोड संख्या यू०पी० 2735,

CNR No. UPBH010033792026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1179/12A/2026

राहुल कुमार पाठक आयु 28 वर्ष, पुत्र विजय कुमार पाठक,निवासी जिगिनिया महिपाल सिंह, थाना रानीपुर, जनपद बहराइच।

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... विपक्षी।

मुकदमा अपराध संख्या–54/2026
धारा–64(1),115(2),352,351(3),316(2)
बी०एन०एस० व
धारा 3(1) (द ध),3(2)(Va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट
<u>थाना–रानीपुर, जनपद बहराइच</u>।

<u>02.06.2026</u>

यह जमानत प्रार्थनापत्र राहुल कुमार पाठक पुत्र विजय कुमार पाठक, निवासी जिगिनिया महिपाल सिंह, थाना रानीपुर, जनपद बहराइच की ओर से अपराध संख्या 54/2026, धारा–64(1),115(2),352,351(3),316(2) बी०एन०एस० व धारा 3(1) (द ध),3(2)(Va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना–रानीपुर, जनपद बहराइच, के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त से जिला कारागर में निरूद्ध है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि जमानत प्रार्थनापत्र प्रथम है तथा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ या किसी अन्य न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त जमानत देने को तैयार हैं।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिनी अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला है। प्रार्थिनी के पति राजू राष्ट्र दुबई में सन् 2017 से लान्ड्री का कार्य करने चले गये थे। विपक्षी संख्या 1 से प्रार्थिनी के पति की दोस्ती थी जिस नाते विपक्षी संख्या 1 प्रार्थिनी के घर आया–जाया करता था। एक दिन जब प्रार्थिनी के बच्चे स्कूल गये और विपक्षी प्रार्थिनी के घर आया था और प्रार्थिनी नहाने गयी हुई थी जिस बात का फायदा उठाकर विपक्षी संख्या 1 ने किसी तरह चुपके से प्रार्थिनी की नग्न वीडियो नहाते हुए बना लिया और उसके अगले दिन से ही विपक्षी संख्या 1 प्रार्थिनी को समाज में वीडियो वायरल करके बेइज्जत करने की धमकी देने लगा। प्रार्थिनी काफी डर गयी थी। इसी डर का फायदा उठाकर विपक्षी संख्या 1 ने ब्लैकमेल करके शारीरिक सम्बन्ध बनाये और वीडियो बनायी और 22 लाख रूपये धीरे धीरे करके प्रार्थिनी को ब्लैकमेल करके ले लिया। जिस कारण प्रार्थिनी समाज में बेइज्जती के डर से चुप रही लेकिन जब प्रार्थिनी ने हिम्मत करके अपने पति को दिनांक 08.03.2026 को जरिये फोन सारी घटना बतायी तब प्रार्थिनी के पति के कहने पर प्रार्थिनी ने विपक्षीगण से अपनी नग्न वीडियो डिलीट करने व अपने 22 लाख रूपये वापस करने की बात कही तब विपक्षीगण जो आपस में रिश्तेदार हैं एकराय होकर वीडियो डिलीट करने से और प्रार्थिनी के पैसे वापस करने से साफ इंकार कर दिया और प्रार्थिनी को मारा पीटा व जान से मारने की धमकी दी और जातिसूचक गाली दी और कहा कि धोबी साली 10 लाख रूपये और तुम्हे देना पड़ेगा वरना तुम्हारी वीडियो पूरी दुनिया में वायरल कर देगे। प्रार्थिनी बर्बाद हो चुकी है और विपक्षीगण के इस कृत्य से आत्महत्या करने को विवश है।

अभियुक्त के अधिवक्ता की तरफ से यह तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है महेज हैरान व परेशान करने की नियत से फर्जी रंजिशन फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपार्ट में

वर्णित घटना झूठी मनगढ़न्त भ्रामक व बनावटी है। वादिनी एक सम्पन्न महिला है तथा उसका मकान कई वर्षों से पक्का बना है। वादिनी के पास चार पहिया वाहन है जिससे वह विद्यालय पढ़ाने जाती है। ड्राइवर हमेशा साथ में रहता है। वादिनी के घर में बाथरूम व टायलेट पक्के बने है। वादिनी का यह कहना कि विपक्षी ने उसका नहाते हुए नग्न वीडियो चुपके से बना लिया तथा वायरल करकने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया तथा धीरे–धीरे उसको ब्लैकमेल करके उससे बाइस लाख रूपये ले लिया कतई गलत है। प्रार्थी/अभियुक्त का विवाह दिनांक 07.03.2026 को हुआ है। वादिनी विरोधियों के बहकावे में आकर सरकारी धन लाभ प्राप्त करने की लालच से झूठी व मनगढ़न्त घटना दिखाकर विपक्षी की जिन्दगी बर्बाद करना चाहती है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अभियोजन की तरफ से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी है।

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता,वादिनी अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा सम्बन्धित पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियोजन का अभियुक्त के विरूद्ध यह अभियोग है कि उसके द्वारा नग्न वीडियो नहाते हुए बनाना, वीडियो वायरल करके बेइज़्ज़त करने, ब्लैकमेल करके शारीरिक सम्बन्ध बनाने तथा ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है तथा 22 लाख रूपये भिन्न–भिन्न समय पर लेने का भी आरोप है।

अभियुक्त की ओर से अपने प्रार्थनापत्र व शपथपत्र में लिये गये आधारों व केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि मामले में घटना वर्ष 2017 से 2026 के बीच कही गयी है जिसमें अभियोजन द्वारा यह निश्चित नहीं किया गया है कि घटना प्रथम बार कब घटित हुई। जबकि वादिनी मुकदमा पढ़ी लिखी शिक्षिका है। उसके द्वारा यह लिखना कि खुले में नहा रही थी और उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया। पत्रावली पर पैसे के लेन–देन के सम्बन्ध में कोई प्रपत्र दाखिल नहीं है। जबकि केसडायरी में 16 पर्चे काटे जा चुके हैं जिनमें मात्र वादिनी मुकदमा, उसका पुत्र प्रिंस व पुत्री का बयान सी०डी० सं० 2 में अंकित कराया है। इनके अलावा किसी भी पास–पड़ोस का बयान अंकित नहीं किया है। अभियुक्त द्वारा स्वयं न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। अभियोजन के द्वारा पैसे के लेन–देन के सम्बन्ध में कोई बैंक एकाउण्ट की डिटेल/अभिलेख दाखिल नहीं किया गया है। वादिनी के एकाउन्ट से मुल्जिम के एकाउन्ट में कब–कब कितना उसके द्वारा दिया गया है, यह भी उल्लिखित नहीं है। जहाँ तक कि विवेचना से गाली गलौज,मार पीट के सम्बन्ध में कोई भी स्वतन्त्र साक्षी का साक्ष्य अंकित नहीं किया है। वर्ष 2017 में अभियुक्त व उसके पति की दोस्ती होने का कथन है वह तभी से विदेश में होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पत्रावली में नहीं है। वर्ष 2017 से वह लगातार आपसी सम्बन्ध बनाने का वादिनी मुकदमा द्वारा कहा गया है जिसके सम्बन्ध में कभी भी शिकायत वर्ष 2017 से चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे जाने के पूर्व किसी भी अधिकारी से नहीं की है। पत्रावली पर अभियोजन द्वारा पीड़िता का मेडिकल सम्बन्धित कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक 27.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं एवं अभियुक्त की जेल की निरूद्धि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में गुणदोष पर बगैर कोई मत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किया गया यह जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मु०–50,000/–(पचास हजार) रूपये के निजी बन्धपत्र एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभू पत्र

निष्पादित करने पर निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

1– प्रार्थी/अभियुक्त आरोप एवं धारा 313 द०प्र०सं० के बयान के दिनांक को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगे।

2– अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को किसी भी प्रकार से न डरायेगा, धमकायेगा और न ही अभियोजन साक्षियों से छेड़–छाड़ करेगे।

3– अभियुक्त जमानत पर अवमुक्त होने के उपरान्त न्यायालय में नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा,जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगे तथा जमानत अवधि में कोई अविधिक क्रिया कलाप नहीं करेगे।

(पवन कुमार शर्मा–II)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट),बहराइच।

दिनांकः 02.06.2026